

जे०जे० एक्ट/मानदेय
संख्या-1539/60-1-17-1/13(86)/04
टी०सी०

प्रेषक

रेणुका कुमार,
प्रमुख सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में

निदेशक,
महिला कल्याण,
उ०प्र०।

महिला एवं बाल विकास अनुभाग-1 लखनऊ: दिनांक 05 जून, 2017

विषय:- किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के अन्तर्गत आदर्श नियमावली, 2016 के प्राविधानों के अनुरूप किशोर न्याय बोर्ड/बाल कल्याण समिति के सदस्यों/अध्यक्षों हेतु आयोजित की जाने वाली बैठकों तथा देय मानदेय में वृद्धि किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-524/निदे०म०क०/प्रोबे०/2017-18, दिनांक 02.06.2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, उक्त के क्रम में शासनादेश संख्या-966/60-1-11-1/13(86)/04, दिनांक 24.06.2011 द्वारा किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश के समस्त जनपदों में बाल कल्याण समितियों के सदस्यों को मानदेय दिये जाने की स्वीकृत प्रदान की गयी थी।

2- उपरोक्त के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की आदर्श नियमावली के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश के समस्त जनपदों में किशोर न्याय बोर्ड एवं बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष एवं सदस्यों को मानदेय दिये जाने की व्यवस्था के क्रम में बैठकों हेतु निर्धारित दर रू० 1,000/- प्रति बैठक को बढ़ाकर रू० 1500/- प्रति बैठक किये जाने की स्वीकृत प्रदान की जाती है।

भवदीया,

(रेणुका कुमार)
प्रमुख सचिव